कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

संख्याः 352 / प्रवर्तन / ई–98240 / 2026 दिनांकः 20 जनवरी, 2026

ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और वाहनों के दस्तावेजों की निगरानी को डिजिटल माध्यम से प्रभावी बनाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस क्रम में राज्य के समस्त टोल प्लाजाओं (Toll Plazas) से प्राप्त होने वाले डेटा के एकीकरण के माध्यम से दिनांक 19 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में ई–डिटेक्शन प्रणाली (E-Detection System) को विधिवत लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(सनत कुमार सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
2. समस्त उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी / सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में इस प्रणाली के सुचारू संचालन और जन–जागरूकता हेतु आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करें।
4. रीजनल ऑफिसर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), देहरादून।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सनत कुमार सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड